

# Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

**Shashank Shekhar Sinha**  
President

Mob. No.- 9334118192



**Anil Kumar**  
General Secretary

Mob. No.- 9431409463

Memo No 76

Date 16-6-2020

**Vice President**

Md. Moezuddin

9304951990

Ajay Kumar

9835737317

**Joint Secretary**

Subodh Kumar

7979919465

**Gopal Sharan**

8210342042

**Treasurer**

Sunil Kumar Tiwary

9431085120

**Joint Treasurer**

Mona Jha

9430881025

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।

**विषय:-** बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली के प्रारूप प्रस्ताव के प्रेषण के संबंध में।

**प्रसंग:-** बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996 (अधिसूचना संख्या-12/नि. -1035/91 का.-2310 दिनांक-14.03.1997) में संशोधन के संबंध में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का पत्रांक-04 दिनांक-06.01.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के गठन के लम्बे अंतराल के बाद वर्ष 1997 में इस संवर्ग के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों के निर्धारण हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996 (छायाप्रति संलग्न) को 14 मार्च, 1997 को पहली बार अति संक्षिप्त रूप में अधिसूचित किया गया था, परन्तु सेवा शर्तों में काल क्रम में विभिन्न परिवर्तनों के पश्चात भी सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में महती भूमिका निभानेवाले पदाधिकारियों की सेवा संवर्ग नियमावली में विगत 23 वर्षों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह आश्चर्यजनक किन्तु सत्य है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली का प्रारूप विगत दस वर्षों में नहीं बन पाया है तथा यह अभी भी प्रक्रियाधीन है। इससे कई तरह की व्यावहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, यथा: बिहार राज्य से बाहर के पदाधिकारियों की सेवा प्राप्त करना अथवा गैर राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति इत्यादि।

2. बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुभवी पदाधिकारियों के समूह द्वारा भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली का अध्ययन एवं शोध करने के उपरान्त बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली का प्रारूप प्रस्ताव (छायाप्रति संलग्न) तैयार किया गया है। इस प्रारूप में विभिन्न राज्यों के सर्वश्रेष्ठ प्रावधानों का समावेश इस प्रकार से किया गया है कि बिहार राज्य की प्रगति एवं राज्य हित में एक राज्य स्तरीय सुदृढ़ प्रशासनिक तंत्र का निर्माण/विकास किया जा सके।

3. नियमावली के प्रारूप में यह प्रस्ताव है कि इस राज्य में भी अन्य राज्यों की भाँति प्रशासनिक सेवा को समूह 'क' सेवा के रूप में चिन्हित करते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी स्तर से सेवा प्रारंभ हो (जो भवदीय के आदेशानुसार किया गया है) तथा वे नियमित अंतराल पर प्रोन्नति/वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर सचिव स्तर के पद से सेवानिवृत्त हों।

4. राज्य प्रशासनिक तंत्र भारतीय प्रशासनिक सेवा के नेतृत्व में कार्य करता है, जो अनुमंडल दंडाधिकारी स्तर से सेवा प्रारंभ कर 16/17 वर्षों में सचिव स्तर में प्रोन्नत होते हैं तथा प्रधान सचिव के पद पर प्रोन्नति के उपरान्त अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव के स्तर से सेवानिवृत्त होते हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनुमंडल दंडाधिकारी से सेवा प्रारंभ कर प्रधान सचिव स्तर के पद से सेवानिवृत्त होते हैं।





5. सभी अवगत हैं कि वर्ष 2010 में इस सेवा संवर्ग की भूमिका को प्रशासन में बेहतर एवं प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से इसका पुनर्गठन किया गया था। इस पुनर्गठन से अपेक्षा थी कि महत्वपूर्ण पदों पर अपेक्षाकृत युवा पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जाए। परन्तु आज की तिथि में इस सुधारात्मक ध्येय को अपेक्षित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका। तदर्थवाद तथा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली के अभाव के कारण इस संवर्ग के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों में कालांतर में इतनी विसंगतियाँ आ गई हैं कि इस संवर्ग के पदाधिकारियों के पदस्थापन या प्रोन्नति या वेतन विसंगति के मामलों में अपेक्षित एवं न्यायोचित लाभ ससमय लेने के लिए बाध्य होकर न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। राज्य के कई सेवाओं के संवर्ग नियमावली में समय-समय पर बिहार सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन किए गए हैं, यथा **बिहार न्याय (उच्च) सेवा नियमावली संशोधन, 2011**, किन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा, जो बिहार सरकार की कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग रहा है, अभी तक इस मामले में उपेक्षित है।

6. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की राज्य के विकास में उपयोगिता के संदर्भ में सरकार की अपेक्षा से हम सभी भली-भाँति अवगत हैं। इसी राज्य का निवासी होने तथा राज्य में लंबी अवधि की सेवा के उपरांत बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी राज्य की स्थानीय परिस्थिति, सामाजिक परिवेश तथा भौगोलिक स्थिति से भली-भाँति अवगत होते हैं और स्थानीय समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से करने में सक्षम होते हैं। इस सेवा के पदाधिकारी अपने सेवाकाल में राज्य में विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर विभिन्न विभागों में कार्य करने के पश्चात् अन्य केन्द्रीय सेवाओं/राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों की तुलना में अनुभव आधारित दृष्टिकोण से कार्य निष्पादन बेहतर तरीके से कर सकते हैं और यही कार्यक्षमता उन्हें अन्य पदाधिकारियों/सेवाओं से विशिष्ट बनाती है। बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी राज्य के राजस्व, विकास, निर्वाचन एवं आपदा सहित विधि-व्यवस्था संधारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के सफल निष्पादन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं तथा प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि सेवा शर्तों/नियमावली को आकर्षक बना कर राज्य की प्रतिभाओं को सेवा के प्रति आकर्षित किया जाए तथा संवर्ग के पदाधिकारियों का राज्य हित में मनोबल बढ़ाया जा सके।

7. बाधित प्रोन्नति एवं शर्तों की अन्य विसंगतियों के कारण नैराश्य एवं कुण्ठा भरे माहौल में आज पूरा संवर्ग राज्य सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। इस सेवा के पदाधिकारियों को पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में नियमित रूप से होनेवाले संवर्ग निर्धारण प्रक्रिया की समीक्षा के तहत इन बिन्दुओं के संबंध में ठोस निर्णय लिया जा सकता है। अतः अनुरोध है कि देश के विभिन्न राज्यों के राज्य प्रशासनिक सेवा नियमावली के अनुकरणीय प्रावधानों को अंगीकृत करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा तैयार किए गए बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली के प्रारूप प्रस्ताव को सम्यक विचारोपरान्त इसे स्वीकृत करने हेतु समुचित कार्यवाई करने की कृपा करेंगे।

अनुलग्नक:—यथोक्त (.....पन्ना)।

विश्वासभाजन  
  
(अनिल कुमार)

विश्वासभाजन  
  
(शशांक शेखर सिन्हा)



## **Bihar Administrative Service Cadre Rules 2020.**

### **Short title and Commencement**

- (1) (1) These Rules may be called the Bihar Administrative Service Cadre Rule, 2020
- (2) It shall come into force at once.

### **Status of the Service**

- (2) The Bihar Administrative Service is a superior State Service comprising of various Group 'A' Posts.

### **Definitions**

- (3) In these rules unless the context otherwise requires:-
- (a) Appointing Authority means the Governor;
  - (b) Commission means the Bihar Public Service Commission
  - (c) Citizen of India means a person who is or deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution
  - (d) Constitution means the Constitution of India
  - (e) "Government" means the State Government of Bihar
  - (f) "Governor" means the Governor of Bihar
  - (g) "Member of the Service" means a person substantively appointed under the provisions of these rules or the rules or order in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the
  - (h) "Service" means the Bihar Administrative Service
  - (i) "Substantive appointment" means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government
  - (j) "year of recruitment" means the period of 12 months commencing from the first day of July of a calendar year.
  - (k) "General Administrative Department" means General Administration Department, Government of Bihar
  - (l) 'Cadre officer' means a member of the Bihar Administrative Service
  - (m) 'Cadre post' means any of the post specified under Appendix-A to these rules

### **Cadre of Service**

- (4) (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Governor from time to time.
- (2) The strength of the Service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in the Appendix:-A

**Provided that the Governor may:**



- (i) leave unfilled or hold in abeyance, any vacant post without thereby entitling any person to compensation;
- (ii) create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

#### **Source of recruitment**

- (5) (1) Recruitment to the entry level grade in the service shall be made-by direct recruitment (on 75% of the total available vacant post in the calendar year) on the result of a competitive examination conducted by the Commission.
- (2) **Recruitment by promotion-** Recruitment by promotion in the entry level grade shall be made from amongst the suitable officers of Bihar Revenue service, Bihar Development Service, Bihar Secretariat Service (Section Officer Grade) and other Gazetted Services who have rendered minimum eight years of service in the pay scale of level -09 after preparation of merit list by the Selection Committee, constituted by the GAD in consultation with the commission.  
Provided that 25% of the total vacant posts in every calendar year shall be available for recruitment by promotion.

#### **Reservation**

- (6) Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

#### **Nationality**

- (7) A Candidate for direct recruitment to a post in the service must be a citizen of India

#### **Academic qualifications**

- (8) A candidate for direct recruitment or an officer for recruitment by promotion must hold at least a Bachelor's degree of a university established by law in India or of any other university recognised for this purpose by the Governor.

#### **Age**

- (9) A candidate for direct recruitment must have attained the minimum age of 21 years on the 1<sup>st</sup> of August of the year in which the vacancy has been published. The maximum age limit for recruitment shall be, as decided by the government, for various categories of candidates.  
Provided further that if a candidate would have been entitled in respect of his age to appear at the examination in any year in which no such examination was held, he shall be deemed to be entitled in respect of his age to appear at the next following examination.

#### **Character**



- (10) The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

**Note-** Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or by a Corporation or Body, owned or Controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

#### **Marital Status**

- (11) A male candidate who has more than one wives living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from operation of this rule.

#### **Physical fitness**

- (12) No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to pass an examination by a Medical Board;

#### **Determination of vacancies**

- (13) The appointing authority shall determine and intimate to the Commission by the end of April the number of vacancies against the sanctioned post to be filled during the course of previous financial year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories notified by the government.

#### **Procedure for recruitment**

- (14) (1) Application for permission to appear in the competitive examination shall be called by the Commission in the prescribed form
- (2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission, issued by the Commission.
- (3) After the results of the written examination have been received and tabulated the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories, summoned for interview such number of



candidates as, on the result of the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate at the interview shall be added to the marks obtained by him in the written examination.

- (4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their merit as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates as they consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in list. The commission shall forward the list to the appointing authority. The number of names in the list shall be equal to the number of vacancies.

**Note-** The syllabus and the rule relating to the competitive examination will be prescribed from time to time by the Commission with the approval of the Governor.

#### **Appointment**

- (15) The appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared by the commission.

#### **Probation**

- (16) (1) A person on appointment to the Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.
- (2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:
- Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.
- (3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
- (4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.



- (5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

#### **Confirmation**

- (17) A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period at the end of the period of probation or the extended period of probation if:
- a) he has passed the prescribed departmental examination;
  - b) he has successfully undergone the prescribed training;
  - c) his work and conduct are reported to be satisfactory;
  - d) his integrity is certified;
  - e) the Governor is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

#### **Seniority**

- (18) (1) Except as hereinafter provided, the seniority of persons appointed in the service shall be determined in accordance with the inter-se seniority decided by the commission.
- (2) All officers appointed through recruitment by promotion will be placed after the last officer directly recruited against the vacancy of that year.

#### **Scales of Pay**

- (19) (1) The scales of pay admissible to a person appointed to a post in the cadre of the Service, whether in a substantive or officiating capacity or on a temporary measure shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The scales of pay shall, until orders varying the same under sub-rule (1) are passed and unless the Government Servant opts for the old scale be as follows:--

**Entry Grade**—SDM - PAY LEVEL 10

**Time Scale**- Deputy Secretary - PAY LEVEL:-11(after completion of four years of regular and satisfactory service in entry level grade) (*One additional increment shall be granted at the time of pay fixation*)

**Senior Time Scale**—ADM PAY LEVEL-12 (after completion of ten years of regular and satisfactory service in entry level grade) (*one additional increment shall be granted at the time of pay fixation*).

**Junior Selection Grade**—Joint Secretary PAY LEVEL- 13



*(One additional increment shall be granted at the time of pay fixation)*

**Senior Selection Grade - Additional Secretary PAY LEVEL 13-A**

**Super Selection Grade Scale -Special Secretary PAY LEVEL 14**

**Highest Scale - Secretary PAY LEVEL-15**

**NOTE:** Regarding Grant of Additional Increments: One increment shall be given in the Level 10/11/12 (pay level prior to promotion) of the Pay Matrix from which the Member of service is promoted and he shall be placed at a Cell equal to the figure so arrived at in the Level 11/12/13 (pay level upon promotion) of the Pay Matrix corresponding to the post to which promoted and if no such Cell is available in the Level to which promoted, he shall be placed at the next higher Cell in that Level and Thereafter one additional increments shall be granted to the Basic Pay in the Level to which the Member of Service has been promoted by incrementally moving down one cell in the new Level to which he has been promoted.

**Pay during probation**

(20) (1) Notwithstanding any provision in the Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the entry level scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and second increment after two years service when he has completed the probationary period, passed departmental examination , undergone the prescribed training and is also confirmed.

Provided that if the period of probation is extended on account of not completing the training satisfactorily then such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise:

Provided further that if the first or any subsequent increment is withheld from an officer during the probationary period on account of failure to pass the departmental examination, it shall be allowed to him on passing the examination from the first day of the month following that in which the examination concerned is held and the period during which the increment was withheld shall count for increment in the entry level scale.



- (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules; and will be subject to conditions laid down in sub-rule (1) above.
- (3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State and will be subject to conditions laid down in sub-rule (1) above.

**Time scale**

- (21) Promotion to the Time Scale shall be made on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, constituted by the General Administration Department, on the basis of seniority, subject to rejection because of declared unfit, from amongst such substantively appointed officers, who have completed 04 years of service since appointment in the entry level grade, on the date of selection. This upgradation shall be non-functional and independent of vacancy in Time Scale.

**Senior Time scale**

- (22) Promotion to the Senior TimeScale shall be made on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, constituted by the General Administration Department, on the basis of seniority, subject to rejection because of declared unfit, from amongst such substantively appointed officers, who have completed 08 years of service since appointment in the entry level grade, on the date of selection. This upgradation shall be non-functional and independent of vacancy in Senior Time Scale.

**Selection grade**

- (23) Selection to the Selection Grade shall be made on the recommendation of the Selection Committee, constituted by the General Administration Department, on the basis of seniority, subject to rejection because of declared unfit, from amongst such substantively appointed officers of Time Scale grade, who have completed 14 years of service on the date of selection or 4 years of service in the Senior Time Scale Grade .The recommendation will be based upon Confirmation, Seniority, Performance , Appraisal Report and internal vigilance report.

**Sr. Selection grade**

- (24) Selection to the Sr. Selection Grade shall be made on the recommendation of the Selection Committee, constituted by the General Administration Department on the basis of seniority, subject to rejection because of declared unfit, from amongst such substantively appointed officers of the selection grade,



who have completed 17 years service on the date of selection or 3 years of service in selection grade.

**Super selection grade**

- (25) Selection to the Super Selection Grade shall be made on the recommendation of the Selection Committee, constituted by the General Administration Department, on the basis of seniority, subject to rejection because of declared unfit, from amongst such substantively appointed officers of the Sr. Selection grade, who have completed 20 years service on the date of selection or 3 years of service in Senior Selection Grade.

**Highest scale**

- (26) Selection to the Highest Scale shall be made, on the basis of seniority, subject to rejection because of declared, unfit from amongst such substantively appointed officers of the super selection grade, who have completed 26 years service on the date of selection or 5 years of service in Super Selection Grade, on the basis of recommendation made by the commission in this regard.

Meeting of Departmental Promotion Committee shall be conducted in the month of November each year for preparing the panel for promotion to all promotional posts. Officers of these panels will be promoted against the vacancies arising in the ensuing year.

**Note:-(I)** In case where a senior member of Service is promoted to a higher post and draws less pay in the revised pay structure than his junior who is promoted to the higher post on or after that date then the pay in the pay band of the senior member of Service in the revised pay Structure shall be stepped up to an amount equal to the pay in the pay band as fixed for his junior in that higher post; and the said stepping up should be done with effect from the date of promotion of the junior member of Service subject to the fulfilment of the following conditions, namely:-

- (a) Both the junior and the senior members of Service should belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted should be identical in the same cadre;
- (b) The existing pay structure and the revised pay structure of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay should be identical;
- (c) The senior member of Service at the time of promotion should have been drawing equal or more pay than the junior;
- (d) The anomaly should be directly as a result of the application of the provisions of this Note;
- (e) If even in the lower post, the junior officer was drawing more pay in the existing Pay Structure than the senior by virtue of



any advance increments granted to him, the provisions of this Note need not be invoked to step up the pay of the senior member of the Service.

**Note:-(II)** If two members of service belonging to same pay band and drawing different pay are to be fitted in the new pay matrix, the revised pay of the member of the service drawing higher pay in old pay structure shall always be fixed at higher level in the new pay matrix to avoid bunching

**Note:-(III)** Next Below Rule.— When an officer is considered for appointment by promotion to a particular scale, all officers senior to him shall be considered, irrespective of the fact whether or not they fulfill the requirement as to the minimum service prescribed for the promotion by invoking the next below Rule.

**Note:-(IV)** If the pay of the officers posted on deputation, happens to be lower than the pay they would have entitled to, had they been in their parent cadre and would have drawn that pay but for the deputation, such difference in the pay shall be protected in the form of Personal Pay

**Note:-(V)** A member of the Service, while holding post outside the cadre posts, including a post under the Central Government, may be granted proforma promotion to a post in the Level above the Level specified in rule 19(2) by the Government of Bihar.

**Note:-(VI)** An additional pay of five percent of Basic Pay shall be granted to a member of the Service appointed to hold more than one post simultaneously.

**Note:-(VII)** Any member of the Service appointed to hold a post on deputation shall, for so long as he holds that post, be entitled to draw a Special Allowance or Deputation Allowance, at ten percent of the Basic Pay or as per rules of organisation where the officer is deputed, whichever is higher.

### **Canvassing**

(27) No recommendation either written or oral, other than that required under these rules, will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

### **Deputation**

(28)

(1) A cadre officer may be deputed for service under the Central Government, or another State Government or under a company, association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government, or by another State Government.



(2) A cadre officer may also be deputed for service under -

(i) a company, association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by a State Government, a Municipal Corporation or a Local Body, by the Government of Bihar; and

(ii) an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body, by the State Government:

Provided that no cadre officer shall be deputed to any organisation or body of the type referred to in item (ii), except with his consent;

Provided further that no cadre officer shall be deputed under sub rule (1) or sub-rule (2) to a post other than a post under the Central Government or under a company, association or body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government, carrying a prescribed pay which is less than or a pay scale, the maximum of which is less than the Basic Pay of the post being held by such officer in a substantive capacity.

#### **Filling Cadre Posts with Cadre Officers**

(29) A cadre post shall not be filled by a person who is not a cadre officer or an officer of All India Service, except in exceptional circumstances, when no suitable cadre officer available for filling the vacancy in Basic Grade of Service, an officer drawing pay not less than Time Scale of the Service may be appointed through General Administration Department for period not exceeding six months;

Provided that when a suitable cadre officer becomes available, the person who is not a cadre officer, shall be replaced by the cadre officer.

#### **Regulation of other matters**

(30) In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

#### **Relaxation from the conditions of service**

(31) When the Governor is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, he may, notwithstanding anything contained in these rules applicable to the case, by order dispense with or relax the requirements of



that rule to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that the Commission shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

**Removal of difficulties**

(32) In case of any difficulty arising out in implementation of the provisions of these rules, General Administration Department will be competent to resolve it.

**Cadre Review Committee**

(33) A Cadre Review Committee will be formed under the Chairmanship of Member Board of Revenue after lapse of five years, which will be constituted as follows:-

Member, Board of Revenue	:-	Chairman
ACS/ Principal Secretary/Secretary, GAD	:-	Member
Secretary		
Member, BPSC	:-	Member
DG, BIPARD	:-	Member
ACS/PS/Secretary, Finance	:-	Member
Special Secretary, GAD (BAS)	:-	Member
Representative of BASA	:-	Invited Member

The Committee will submit its recommendations to review the cadre in accordance with the ongoing administrative reforms in the state and other parts of the country.

**Repeal & Savings**

(33) The Bihar Administrative Service Cadre Rules 1997 and all the other circulars/guidelines issued by the government in this regard are hereby repealed.

**APPENDIX-"A"**

The sanctioned strength of the Service at the commencement of the Rules:

1. Secretary and equivalent	-	12
2. Special Secretary and equivalent	.....	66
3. Additional Secretary and equivalent	.....	128
4. Joint Secretary and equivalent	.....	259
5. ADM and equivalent	.....	272
6. Deputy Secretary and equivalent	.....	279
7. Basic Grade	.....	539

**Total - 1555**



बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि (अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय उपसमाहर्ता एवं समकक्ष स्तर पे-मैट्रिक्स लेवल-10) के संवर्गीय पदों की सूची:-

क्र.	विभाग का नाम	पदनाम	पूर्व से सृजित चिन्हित पदबल	नवसृजित पद सहित कुल पदबल
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	अनुमंडल पदाधिकारी	97	97
2.		अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	101	101
3.		नजारत उपसमाहर्ता/आपदा प्रबंधन		38
4.		विशेष कार्य पदाधिकारी, समाहर्ता का गोपनीय कोषांग		38
5.		जन शिकायत/स्थापना उपसमाहर्ता/अभिलेखागार		38
6.		वरीय उप समाहर्ता, प्रभारी जिला सामान्य/विकास शाखा		38
7.		वरीय उप समाहर्ता, प्रभारी जिलाराजस्व/नीलाम पत्र/विधि शाखा		38
8.		नयाचार पदाधिकारी (पटना एवं गया में)		2
		प्रशासी पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन		01
9.		वित्त एवं लेखा पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन		01
		अधिप्राप्ति पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन		01
10.		प्रतिनियुक्ति सुरक्षित		60
11.		प्रशिक्षण सुरक्षित		40
12.		विभागीय सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी	0	44
13.		सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय	02	02
		कुल		539



बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव एवं समकक्ष स्तर पे-मैट्रिक्स लेवल-11) के संवर्गीय पदों की सूची:-

क्र.	विभाग का नाम	पदनाम	पूर्व से सृजित चिन्हित पदबल	नवसृजित पद सहित कुल पदबल
1.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	उप सचिव	01	01
		राज्य नयाचार पदाधिकारी		01
		प्रशासी पदाधिकारी, नगर विमानन शाखा	01	01
		उप निदेशक, उर्दू (राजभाषा शाखा)	01	01
		मंत्री के आप्त सचिव	26	26
2.	गृह विभाग	उप सचिव	01	03
3.	वित्त विभाग	उप सचिव	01	03
4.	सामान्य प्रशासन विभाग	उप सचिव	01	04
		नगर दंडाधिकारी, पटना	03	01
		उप सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग	2	02
		विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	55	25
		उप सचिव एवं समकक्ष स्तर के Floating पद	00	30
		प्रतिनियुक्त सुरक्षित पद (उप सचिव एवं समकक्ष स्तर)	00	50
		नगर दंडाधिकारी	08	08
5.	ग्रामीण विकास विभाग	उप सचिव	01	02
6.	ग्रामीण कार्य विभाग	उप सचिव	01	02
7.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	उप सचिव	01	02
		उप निदेशक, भू-अर्जन	00	01
8.	विधि विभाग	उप सचिव	01	01
9.	जल संसाधन विभाग	उप सचिव	01	02
		सचिव, सोन कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकार, पटना	01	01
		सचिव, काडा, भागलपुर	01	01
		सचिव, सोन कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकार, सहरसा	01	01



10.	लघु जल संसाधन विभाग	उप सचिव	01	01
11.	समाज कल्याण विभाग	उप सचिव	01	02
12.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	उप सचिव	01	01
13.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	उप सचिव	01	01
14.	योजना एवं विकास विभाग	उप सचिव	01	01
15.	आपदा प्रबंधन विभाग	उप सचिव	01	02
16.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	उप सचिव	01	02
		जिला आपूर्ति पदाधिकारी	25	25
		उप अनुभाजन पदाधिकारी, पटना	01	01
		जिला प्रबंधक बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम	25	0
17.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	उप सचिव	01	01
18.	पर्यावरण एवं वन विभाग	उप सचिव	01	01
19.	ऊर्जा विभाग	उप सचिव	01	01
20.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	उप सचिव	01	01
		उप निदेशक (प्रशासन)	01	01
21.	सूचना प्रावैधिकी विभाग	उप सचिव	01	01
22.	पर्यटन विभाग	उप सचिव	01	01
		उप निदेशक, पर्यटन	01	01
23.	संसदीय कार्य विभाग	उप सचिव	01	01
24.	नगर विकास एवं आवास विभाग	उप सचिव	01	02
		उप निदेशक, शहरी गरीबी उन्मूलन	02	03
		राजस्व पदाधिकारी, बिहार राज्य आवास बोर्ड	01	01
		भू-सम्पदा पदाधिकारी, बिहार राज्य आवास बोर्ड	01	01
		सचिव, नगर निगम	07	0
25.	उद्योग विभाग	उप सचिव	01	01
26.	गन्ना उद्योग विभाग	उप सचिव	01	01
27.	खान एवं भूत्त्व विभाग	उप सचिव	01	01



28.	कृषि विभाग	उप सचिव	01	01
		उप निदेशक, (प्रशासन)	01	01
29.	सहकारिता विभाग	उप सचिव	01	01
30.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	उप सचिव	01	01
31.	श्रम संसाधन विभाग	उप सचिव	01	01
32.	निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	उप सचिव	01	01
33.	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	उप सचिव	01	01
34.	वाणिज्य कर विभाग	उप सचिव	01	01
35.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	उप सचिव	01	01
36.	पथ निर्माण विभाग	उप सचिव	01	02
37.	भवन निर्माण विभाग	उप सचिव	01	02
38.	शिक्षा विभाग	उप सचिव	01	02
		उप निदेशक (प्रशासन)	01	01
39.	स्वास्थ्य विभाग	उप सचिव	01	02
		प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति	00	01
40.	परिवहन विभाग	उप सचिव	01	02
		उप परिवहन आयुक्त (मुख्यालय)	01	01
		जिला परिवहन पदाधिकारी	17	17
41.	पचायती राज विभाग	उप सचिव	01	01
		उप निदेशक, मुख्यालय	01	01
42.	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	उप सचिव	01	01
43.	निगरानी विभाग	उप सचिव	01	01
		विशेष दंडाधिकारी निगरानी (मुख्यालय)	02	02
44.	निर्वाचन विभाग	उप सचिव	01	01
45.	स्वास्थ्य विभाग	प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति	0	01
46.	ऊर्जा विभाग	उप निदेशक, ब्रेडा	0	01
47.	सामान्य प्रशासन विभाग	विकास आयुक्त के विशेष कार्य पदाधिकारी	0	01
48.	सामान्य प्रशासन विभाग	मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी	0	01
49.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	सहायक स्थानिक आयुक्त-सह-प्रशासी पदाधिकारी (दिल्ली स्थित पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ऊर्जा/जल संसाधन विभाग)	0	04
50.	वित्त विभाग	उप निदेशक,	01	01



बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर जिला दंडाधिकारी एवं समकक्ष स्तर पे-मैट्रिक्स लेवल-12) के संवर्गीय पदों की सूची:-

क्र.	विभाग का नाम	पदनाम	पूर्व से सृजित चिन्हित पदबल	नवसृजित पद सहित कुल पदबल
01.	सामान्य प्रशासन विभाग	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी (प्रत्येक जिला के लिए)	38	38
		अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता (उड़नदस्ता) (प्रत्येक जिला के लिए)	38	38
		अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था), पटना	01	01
		अपर जिला दंडाधिकारी (सामान्य), पटना	01	01
		संयुक्त सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग	02	02
		प्रतिनियुक्ति सुरक्षित पद (अपर समाहर्ता स्तर)	00	35
		अपर समाहर्ता स्तर का फ्लोटिंग पद	00	30
2.	ग्रामीण विकास विभाग	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	28	38
3.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना	01	01
		विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना	01	01
		क्षेत्रीय निदेशक, खाद्य (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	09	09
4.	ऊर्जा विभाग	संयुक्त सचिव, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी लि.	02	01
5.	निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	महाप्रबंधक, बिहार स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन	03	0
6.	परिवहन विभाग	संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	09	09
07	पंचायती राज विभाग	क्षेत्रीय निदेशक, पंचायती राज विभाग, (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	01	09
		अनुश्रवण पदाधिकारी	00	01



08.	नगर विकास एवं आवास विभाग	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना	03	03
		नगर आयुक्त (मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बिहारशरीफ, आरा एवं गया)	06	06
09.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (राज्य खाद्य निगम)	प्रमुख अधिप्राप्ति, राज्य खाद्य निगम	00	01
		प्रमुख वित्त, राज्य खाद्य निगम	00	01
		प्रमुख प्रशासन, राज्य खाद्य निगम	00	01
		प्रमुख निगरानी, राज्य खाद्य निगम	00	01
10.	आपदा प्रबंधन विभाग	अपर जिला दंडाधिकारी, आपदा प्रबंधन-सह-विभागीय जॉच	09	38
11.	ऊर्जा विभाग	महाप्रबंधक (प्रशासन/मानव संसाधन), दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0	01
12.	ऊर्जा विभाग	महाप्रबंधक (प्रशासन), उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0	01
13.	नगर विकास विभाग	महाप्रबंधक (प्रशासन/मानव संसाधन)-पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	0	01
14.	जल संसाधन विभाग	काठमांडू स्थित कार्यालय में सम्पर्क पदाधिकारी	0	01
15.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	मुख्य प्रशासी पदाधिकारी-सह-उप स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली	0	01
16.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	प्राचार्य, सर्वे एवं बंदोबस्त संस्थान	0	01
		प्राचार्य, चकबंदी प्रशिक्षण	0	01
		कुल		272



बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर पे-मैट्रिक्स लेवल-13) के संवर्गीय पदों की सूची:-

क्र.	विभाग का नाम	पदनाम	पूर्व से सृजित चिन्हित पदबल	नवसृजित पद सहित कुल पदबल
01.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	संयुक्त सचिव	01	01
02.	गृह विभाग	संयुक्त सचिव (गृह विशेष)	02	02
		संयुक्त सचिव (गृह आरक्षी)	02	03
		संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन (गृह कारा)	01	01
		मुख्य महाप्रबंधक-सह-सचिव, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम	01	01
03.	वित्त विभाग	संयुक्त सचिव	03	02
04.	सामान्य प्रशासन विभाग	संयुक्त सचिव	03	03
		संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग	01	01
		संयुक्त सचिव, राज्य निर्वाचन प्राधिकार/राज्य निर्वाचन आयोग	01	02
	आयुक्त के सचिव के स्थान पर	अपर आयुक्त, प्रशासन (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	09	09
		अपर आयुक्त (विभागीय जाँच) (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	09	09
		संयुक्त सचिव, लोकायुक्त कार्यालय	01	01
		(प्रतिनियुक्त सुरक्षित पद)	00	35
		संयुक्त सचिव का फ्लोटिंग पद	00	30
05.	ग्रामीण विकास विभाग	संयुक्त सचिव	04	03
		अपर आयुक्त, विकास (प्रत्येक प्रमंडल के लिए)	09	09
06.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	संयुक्त सचिव	02	01
		संयुक्त सचिव, राजस्व पर्षद	01	01
07.	जल संसाधन विभाग	संयुक्त सचिव	02	02
08.	लघु जल संसाधन विभाग	संयुक्त सचिव	02	01



09.	समाज कल्याण विभाग	संयुक्त सचिव	01	01
		संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)	02	01
		संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण	02	01
10.	योजना एवं विकास विभाग	संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त निदेशक (प्रशासन) (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)	01	01
		संयुक्त सचिव, योजना पर्षद	01	01
11.	आपदा प्रबंधन विभाग	संयुक्त सचिव	02	01
	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार	सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार	01	01
12.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	संयुक्त सचिव	02	01
		निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय	01	01
13.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	संयुक्त सचिव	02	01
		प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम	01	01
14.	पर्यावरण एवं वन विभाग	संयुक्त सचिव	02	02
15.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	संयुक्त सचिव	01	01
		संयुक्त निदेशक	01	01
		परियोजना निदेशक, बिहार काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एवं आई.जी.एस.सी. तारामंडल	00	01
16.	सूचना प्रावैधिकी विभाग	महाप्रबंधक, बेल्ट्रॉन	00	01
17.	पर्यटन विभाग	संयुक्त पर्यटन निदेशक	01	01
		महाप्रबंधक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम	01	01
18.	नगर विकास एवं आवास विभाग	संयुक्त सचिव	01	03
		संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त निदेशक	01	01
		महाप्रबंधक, BUDCO (प्रशासन)	00	01
		सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड	01	01
19.	कृषि विभाग	संयुक्त सचिव	01	01



		संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	01	01
20.	सहकारिता विभाग	संयुक्त सचिव	01	01
		अपर निबंधक सहयोग समितियाँ (मुख्यालय)	01	01
		प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम	01	01
21.	श्रम संसाधन विभाग	संयुक्त सचिव	01	01
		संयुक्त श्रमायुक्त प्रवासी श्रमिक कोषांग, बिहार भवन, नई दिल्ली	01	01
22.	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	संयुक्त सचिव	01	01
23.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	संयुक्त सचिव	02	01
24.	पथ निर्माण विभाग	संयुक्त सचिव	01	01
		विशेष पदाधिकारी-सह-संयुक्त सचिव	02	01
25.	भवन निर्माण विभाग	संयुक्त सचिव	01	01
26.	शिक्षा विभाग	संयुक्त सचिव	03	03
		कुल सचिव, ललित नारायण मिश्रा प्रबंधन संस्थान, पटना	01	01
27.	स्वास्थ्य विभाग	संयुक्त सचिव	03	03
28.	परिवहन विभाग	संयुक्त सचिव	01	00
		संयुक्त परिवहन आयुक्त	02	01
		प्रशासन प्रमुख, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	01	01
29.	पंचायती राज विभाग	संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव	01	00
		संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)	01	01
		संयुक्त सचिव (निर्वाचन)	01	01
30.	निगरानी विभाग	संयुक्त सचिव	03	02
31.	निर्वाचन विभाग	संयुक्त सचिव	01	00
		संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	01	01
32.	मुख्यमंत्री सचिवालय	संयुक्त सचिव	04	03
33.	राजभवन सचिवालय	संयुक्त सचिव (विश्वविद्यालय)	00	01
		संयुक्त सचिव (स्थापना)	00	01
34.	सामान्य प्रशासन विभाग	सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,		01
35.	स्वास्थ्य विभाग	अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति		01
36.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड		01



37.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य हज समिति-		01
38.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	बंदोवस्त पदाधिकारी (पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा एवं दरभंगा)	06	06
39.	कल्याण विभाग	सचिव, राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग	01	01
42.	योजना एवं विकास विभाग	परियोजना निदेशक (बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण/बिहार सांख्यिकी तंत्र विकास अभिकरण/बिहार SDG)	0	01
43.	निगरानी विभाग	निदेशक (प्रशासन) विशेष निगरानी इकाई	0	01
44.	शिक्षा विभाग	कुल सचिव, अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज प्रबंधन संस्थान, पटना	0	01
45.	शिक्षा विभाग	कुलसचिव, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय, पटना	0	01
46.	ग्रामीण विकास विभाग	निदेशक-सह-अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका	0	01
47.	नगर विकास विभाग	निदेशक (प्रशासन), पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	0	01
48.	स्वास्थ्य विभाग	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति	0	01
49.	गन्ना उद्योग विभाग	अपर ईखायुक्त-सह-अपर निदेशक ईख विकास	0	01
50.	सामान्य प्रशासन विभाग	मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी	0	01
51.	उद्योग विभाग	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य हैंडलूम तथा हस्तकरघा निगम	0	01
52.	उद्योग विभाग	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्यखादी एवं ग्राम उद्योग निगम	0	01
53.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	मुख्य महाप्रबंधक, बिहार विकास मिशन	0	01
54.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी	0	01
55.	कृषि विभाग	निदेशक, पौधा संरक्षण-सह-बिहार राज्य वीज निगम	0	01
56.	भवन निर्माण विभाग	महाप्रबंधक (Consultancy/Admn/Hq) बिहार राज्य भवन निर्माण निगम	0	01
57.	उत्पाद एवं निबंधन विभाग	अपर निबंधन महानिरीक्षक, बिहार	0	01
		अपर उत्पाद आयुक्त, बिहार	0	01
58.	मंत्रिमंडल सचिवालय	अपर स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन	0	01



	विभाग			
59.	नगर विकास विभाग	निदेशक (प्रशासन)/मुख्य महाप्रबंधक, Patna Smart City Limited	0	01
60.	सामान्य प्रशासन विभाग	जिला दंडाधिकारी-सह-समाहर्ता	0	10
		सभी विभागों में संयुक्त सचिव (प्रशासन) का एक पद		44
		मिशन निदेशक, बी.एस.डी.एम.		01
		कुल		258



बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर पे-मैट्रिक्स लेवल-13 ए) के संवर्गीय पदों की सूची:-

क्र.	विभाग का नाम	पदनाम	पूर्व से सृजित चिन्हित पदबल	नवसृजित पद सहित कुल पदबल
01.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	अपर सचिव	01	01
		निदेशका-सह-अपर सचिव, राजभाषा	01	01
		निदेशक (उर्दू) (राजभाषा विभाग)	01	01
		विशेष स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली	00	01
02.	गृह विभाग	अपर सचिव	01	02
		निदेशक (अभियोजन निदेशालय)	00	01
03.	वित्त विभाग	अपर सचिव	01	02
		निदेशक (सांख्यिक वित्त)	00	01
		निदेशक (भविष्य निधि निदेशालय)	00	01
04.	सामान्य प्रशासन विभाग	अपर सचिव	01	02
		सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग	01	01
		सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग	01	01
		सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग	00	01
		सचिव, बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण	01	01
		प्रतिनियुक्त सुरक्षित पद	00	10
05.	ग्रामीण विकास विभाग	अपर सचिव	01	02
		प्रबंध निदेशक, जल जीवन हरियाली अभियान	00	01
		आयुक्त, मनरेगा	00	01
06.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	निदेशक-सह-अपर सचिव, भू-अर्जन	01	01
		निदेशक, चकबंदी		01
		निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप		01
07.	लघु जल संसाधन विभाग	अपर सचिव	01	01
08.	अनुसूचित जाति एवं	निदेशक, एस.सी./एस.टी.	00	01



	अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	कल्याण		
09.	योजना एवं विकास विभाग	निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	00	01
		परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी	00	01
10.	आपदा प्रबंधन विभाग	अपर सचिव	01	01
11.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	अपर सचिव	01	01
		मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम	00	01
12.	उद्योग विभाग	अपर सचिव-सह- निदेशक, उद्योग विभाग	01	01
13.	खान एवं भूतत्व विभाग	अपर सचिव-सह-निदेशक	01	01
		मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना/बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड	00	01
14.	कृषि विभाग	निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव	01	01
		प्रबंध निदेशक, बिहार कृषि उद्योग विकास निगम	00	01
15.	सहकारिता विभाग	अपर सचिव-सह-मुख्य अंकेक्षक-सह-विशेष निबंधक, सहयोग समिति	01	01
16.	श्रम संसाधन विभाग	अपर सचिव	01	01
		अपर निदेशक, नियोजन	01	01
		अपर निदेशक, प्रशिक्षण	00	01
17.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	अपर सचिव	01	01
18.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	सचिव, विश्वास बोर्ड	01	01
19.	शिक्षा विभाग	निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव	01	01
	शिक्षा विभाग	निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव	01	01
	शिक्षा विभाग	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा	0	01
	शिक्षा विभाग	निदेशक, मध्याह्न भोजन	0	01
	शिक्षा विभाग	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	0	01
	शिक्षा विभाग	राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना	00	01



20.	स्वास्थ्य विभाग	अपर सचिव	02	02
21.	परिवहन विभाग	अपर सचिव	01	01
		अपर परिवहन आयुक्त	00	01
22.	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	अपर सचिव-सह-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क	01	01
23.	मुख्यमंत्री सचिवालय	अपर सचिव	01	01
24.	ग्रामीण कार्य विभाग	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण	0	01
25.	नगर विकास एवं आवास विभाग	सचिव, रेरा	0	01
	नगर विकास एवं आवास विभाग	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर प्राधिकार	0	01
	नगर विकास एवं आवास विभाग	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	00	01
26.	सामान्य प्रशासन विभाग	सचिव, राज्य सूचना आयोग	01	01
27.	सामान्य प्रशासन विभाग	सचिव, राज्य निर्वाचन प्राधिकार	01	01
28.	श्रम संसाधन विभाग	सचिव, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग	01	01
29.	पंचायती राज विभाग	सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग	1	01
		निदेशक, (पंचायती राज)	0	01
		परियोजना निदेशक, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी	00	01
30.	उद्योग विभाग	निदेशक (खाद्य एवं प्रसंस्करण)	0	01
31.	उद्योग विभाग	निदेशक (हस्तकरघा तथा रेशम विकास)	0	01
32.	उद्योग विभाग	निदेशक (प्रशासन), आधारभूत संरचना प्राधिकार	0	01
33.	वित्त विभाग	अपर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्त निगम	0	01
34.	पथ निर्माण विभाग	मुख्य प्रबंधक, बी.एस.आर.डी.सी., पथ निर्माण विभाग		
35.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण	0	01
		निदेशक, पुरातत्व	0	01
		निदेशक-सह-सचिव, बिहार राज्य खेल प्राधिकार	00	01
36.	निगरानी विभाग	निदेशक, उड़नदस्ता, निगरानी विभाग	0	01
		मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम	0	01
37.	श्रम संसाधन विभाग	अपर श्रमायुक्त, बिहार	0	01
38.	उद्योग विभाग	निदेशक (तकनीकी विकास)	0	01
		अपर निवेश आयुक्त (मुंबई)	0	01



39.	सामान्य प्रशासन विभाग	सचिव, बिहार राज्य तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग	0	01
		सचिव, बिहार राज्य उच्च शिक्षा आयोग	0	01
		प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टेस्ट बुक कमिटी	0	01
		अपर सचिव/निदेशक का फ्लोटिंग पद		15
40.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम	01	01
41.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	01	01
42.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम	01	01
43.	सहकारिता विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन	00	01
44.	शिक्षा विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टेक्स्टबुक कमिटी	01	01
45.	निर्वाचन विभाग	अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अपर सचिव	01	01
46.	शिक्षा	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार खुला विश्वविद्यालय परिषद	0	01
47.	अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, महादलित विकास मिशन	0	01
48.	स्वास्थ्य विभाग	कार्यपालक निदेशक, बिहार आयुष समिति	0	01
49.	स्वास्थ्य विभाग	निदेशक, प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य विभाग	0	01
		राज्य औषध महानियंत्रक	0	01
50.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	निदेशक, गव्य विकास	0	01
		निदेशक, मत्स्य	0	01
		निदेशक, पशुपालन	0	01
51.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	0	01
52.	वाणिज्य कर विभाग	विशेष आयुक्त (प्रशासक)	0	01
53.	समाज कल्याण विभाग	निदेशक, समाज कल्याण	0	01
		निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ	0	01
		निदेशक, सामाजिक सुरक्षा	0	01
54	ऊर्जा विभाग	निदेशक (प्रशासन/मानव	0	01



		संसाधन)-सह-मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी लि.		
55.	पर्यटन विभाग	पर्यटन निदेशक	0	01
		प्रबंध निदेशक, बिहार संवाद समिति, पटना	0	01
		कुल		126



बिहार प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव एवं समकक्ष पे-मैट्रिक्स लेवल-14 ) के संवर्गीय पदों की सूची:-

क्र०	विभाग का नाम	पदनाम	पूर्व से सृजित चिन्हित पदबल	नवसृजित पद सहित कुल पदबल
1.	गृह विभाग	विशेष सचिव	01	01
2.	वित्त विभाग	विशेष सचिव	01	01
3.	ग्रामीण विकास विभाग	विशेष सचिव	01	01
4.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	विशेष सचिव	01	01
5.	जल संसाधन विभाग	विशेष सचिव	01	01
6.	समाज कल्याण विभाग	विशेष सचिव	01	01
7.	पर्यावरण एवं वन विभाग	विशेष सचिव	01	01
8.	नगर विकास एवं आवास विभाग	विशेष सचिव	01	01
9.	उद्योग विभाग	विशेष सचिव	01	01
10.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	विशेष सचिव	01	01
11.	पथ निर्माण विभाग	विशेष सचिव	01	01
12.	शिक्षा विभाग	विशेष सचिव	01	01
13.	निगरानी विभाग	विशेष सचिव	01	01
14.	उद्योग विभाग	प्रबंध निदेशक, वियाडा	00	01
15.	नगर विकास विभाग	प्रबंध निदेशक, बुडको	00	01
16.	नगर विकास विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड	00	01
17.	सूचना प्रावैधिकी विभाग	प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन	0	01
18.	शिक्षा विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा आधारभूत संरचना विकास निगम	0	01
19.	आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम	0	01
20.	भवन निर्माण विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम	0	01
21.	पथ निर्माण विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम	0	01
22.	स्वास्थ्य विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा	0	01



		सेवा आधारभूत निगम		
		कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति	0	01
23.		प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड	0	01
24.	ऊर्जा विभाग	प्रबंध निदेशक, ब्रेडा	0	01
25.	परिवहन विभाग	प्रशासक, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम	0	01
26.	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम	0	01
27.	सामान्य प्रशासन विभाग	निदेशक, विपार्ड	0	01
		प्रतिनियुक्ति सुरक्षित	0	05
28.	शिक्षा विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम	0	01
29.	स्वास्थ्य विभाग	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति	0	01
30.	सहकारिता विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारिता विकास निगम	0	01
32.	स्वास्थ्य विभाग	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा	0	01
33.	पथ निर्माण विभाग	उपाध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	0	01
34.	उर्जा विभाग	प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0	01
35.	ऊर्जा विभाग	प्रबंध निदेशक, उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0	01
36.	ऊर्जा विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	0	01
37.	ऊर्जा विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड	0	01
38.	ग्रामीण विकास विभाग	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका	0	01
40.	सहकारिता विभाग	प्रबंध निदेशक, भूमि विकास बैंक	0	01
41.	उद्योग विभाग	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य उद्योग विकास निगम	0	01
42.	नगर विकास विभाग	निदेशक, बुडा	0	01
43.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	कार्यपालक निदेशक, बिहार विरासत विकास समिति	0	01
		प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना	0	01
44.	निगरानी विभाग	निदेशक (प्रशासन) निगरानी अणवेषण ब्यूरो	0	01
45.	कृषि विभाग	प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन बोर्ड	0	01
46.	कृषि विभाग	निदेशक (कृषि)	0	01



48.	उर्जा विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम	0	01
49.	पर्यटन विभाग	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम	0	01
51.	सामान्य प्रशासन विभाग	विशेष सचिव स्तर का 10 फ्लोटिंग पद	0	10
		विशेष सचिव-सह-राज्य स्थापना पदाधिकारी	0	01
52	श्रम संसाधन विभाग	निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण	0	01
53	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	प्रबंध निदेशक, बिबरेज कॉरपोरेशन	0	01
		कुल		66



बिहार प्रशासनिक सेवा के सचिव एवं समकक्ष पे-मैट्रिक्स लेवल-15 )  
के संवर्गीय पदों की सूची:-

01	सचिव	स्वास्थ्य विभाग	01
	सचिव	शिक्षा विभाग	01
	सचिव	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	01
	सचिव	गृह विभाग	01
	सचिव	सामान्य प्रशासन विभाग	01
	सचिव	वित्त विभाग	01
	सचिव	कृषि	01
	सचिव	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	01
	सचिव	जल संसाधन विभाग	01
	सचिव	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	01
	सचिव	ऊर्जा विभाग	01
	सचिव	पथ निर्माण विभाग	01
		कुल	12